

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-5286-औस/पाकालि/2016-11(4)एफ/86(वो-II)

दिनांक 28 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत श्वास रोग एवं फेफड़ों (Respiratory & Lungs) के रोग की लम्बी अवधि तक उपचार हेतु प्रयोग किये जाने वाले सीपैप एवं बाईपैप यन्त्र/उपकरण की अनुमन्यता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धाधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. राजकीय चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान तथा कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय के चिकित्सक विशेषज्ञ द्वारा रोगी के स्लीपलैब की जाँच रिपोर्ट के आधार पर।
2. सीपैप/बाईपैप यन्त्र के प्रयोग हेतु फर्म द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रयोगविधि के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होने पर।
3. सीपैप/बाईपैप यन्त्र की निर्धारित दर/सी०जी०एच०एस० दर में से जो भी कम हो, पर कय किया जा सकता है।

उक्त आदेश के अन्तर्गत कारपोरेशन के चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी सामान्य नियमों के अन्तर्गत उक्त यन्त्र/उपकरण की भी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाये।

अध्यक्ष

संख्या:-5286-(1) औस/पाकालि/2016-तददिनांक:-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
- 3- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेटर प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक (का०प्र०) ट्रांसको, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्योच्चल, लखनऊ/पूर्वाञ्चल, वाराणसी/पश्चिमाञ्चल, मेरठ/दक्षिणाञ्चल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
- 6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता वितरण, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 9- महाप्रबन्धक (औ०स०)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव-प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 12- अधिशाली अभियन्ता(वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु।
- 13- सलाहकार (चिकित्सा) (उत्पादन निगम), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 14- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 15- कट फाइल।



(कौशल चन्द्र सक्सेना)
महाप्रबन्धक (औ०स०)